# अध्याय 15
# मांग और वसूली

## धारा 73 : [1][वित्तीय वर्ष 2023–24 तक की अवधि से संबंधित] असंदत्त कर या कम संदत्त या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर या गलत तरीके से लिए गए या कपट या तथ्यों का जानबूझकर मिथ्या कथन करके या छिपाने से भिन्न किसी अन्य कारण से उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय का अवधारण

(1) जहां समूचित अधिकारी को यह प्रतीत होता है कि किसी कर का संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट या कर अपवंचन के लिए जानबूझकर कोई मिथ्या कथन करने या तथ्यों को छिपाने से भिन्न किसी अन्य कारण से उसका उपयोग किया गया है तो वह कर, जिसका इस प्रकार संदाय नहीं किया गया है या कम संदाय किया गया है या त्रुटिवश प्रतिदाय किया गया है या इनपुट कर प्रत्यय को गलती से लिया गया है या कपट या कर अपवंचन के लिए जानबूझकर कोई मिथ्या कथन करने है या तथ्यों को छिपाने से भिन्न किसी अन्य कारण से उसका उपयोग किया गया है, के लिए प्रभार्य व्यक्ति को कारण बताने के लिए सूचना की तामील करेगा कि क्यों न वह सूचना में विनिर्दिष्ट रकम के साथ धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज और इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन उद्ग्रहणीय शास्ति का संदाय करे।

(2) समुचित अधिकारी उपधारा (1) के अधीन सूचना, आदेश जारी करने के लिए उपधारा (10) में विनिर्दिष्ट समय–सीमा से कम से कम तीन मास पूर्व जारी करेगा।

(3) जहां उपधारा (1) के अधीन किसी अवधि के लिए कोई सूचना जारी की गई है वहां समुचित अधिकारी कर से प्रभार्य व्यक्ति पर संदत्त न किए गए कर या कम संदत्त किए गए कर या त्रुटिवश प्रतिदाय किए गए कर या गलत तरीके से लिए गए इनपुट कर प्रत्यय या उपधारा (1) के अधीन आने वाली अवधियों से भिन्न के लिए उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय के ब्यौरों को अंतर्विष्ट करते हुए एक विवरण की तामील कर सकेगा।

(4) ऐसे व्यक्ति पर ऐसे विवरण की तामील को इस शर्त के अधीन रहते हुए कि उपधारा (1) के अधीन आने वाली कर अवधियों से भिन्न ऐसी कर अवधियों के लिए अवलंब लिए गए आधार वहीं हैं, जिनका पूर्व सूचना में वर्णन किया गया है, सूचना की तामील समझा जाएगा।

(5) कर के प्रभार्य व्यक्ति, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन सूचना की तामील या उपधारा (3) के अधीन विवरण की तामील से पूर्व कर की रकम का धारा 50 के अधीन उस पर संदेय ब्याज के साथ, अपने स्वयं के ऐसे कर के अभिनिश्चय या समुचित अधिकारी द्वारा अभिनिश्चित कर के आधार पर संदाय कर सकेगा और समुचित अधिकारी को ऐसे संदाय की लिखित सूचना देगा।

(6) समुचित अधिकारी, ऐसी सूचना की प्राप्ति पर, यथास्थिति, उपधारा (1) के अधीन सूचना या उपधारा (3) के अधीन विवरण की, इस प्रकार संदत्त कर या इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन संदेय किसी शास्ति की बाबत, तामील नहीं करेगा।

(7) जहां समुचित अधिकारी का यह मत है कि उपधारा (5) के अधीन संदत्त रकम वास्तविक रूप से संदेय रकम से कम है तो वह ऐसी रकम के संबंध में, जो वास्तविकरूप से संदेय

---

1 वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।

रकम से कम होती है, उपधारा (1) में यथा उपबंधित सूचना जारी करने के लिए अग्रसर होगा।

**(8)** जहां उपधारा (1) या उपधारा (3) के अधीन कर से प्रभार्य व्यक्ति, धारा 50 के अधीन संदेय ब्याज के साथ उक्त कर का, कारण बताओ सूचना जारी करने के तीस दिन के भीतर, संदाय कर देता है तो कोई शास्ति संदेय नहीं होगी और उक्त सूचना के संबंध में सभी कार्यवाहियों को पूरा कर लिया गया समझा जाएगा।

**(9)** समुचित अधिकारी कर के प्रभार्य व्यक्ति द्वारा किए गए अभ्यावेदन, यदि कोई हो, पर विचार करने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति से शोध्य कर, ब्याज और कर के दस प्रतिशत के बराबर रकम या दस हजार रूपए, जो भी अधिक हो, की शास्ति का अवधारण करेगा और एक आदेश जारी करेगा।

**(10)** समुचित अधिकारी उपधारा (9) के अधीन आदेश को, उस वित्तीय वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी प्रस्तुत करने की तारीख से, जिसके लिए कर संदत्त नहीं किया गया था या कम संदत्त किया गया था या गलत इनपुट कर प्रत्यय लिया गया था या उसका गलत उपयोग किया गया था, तीन वर्ष के भीतर या त्रुटिवश प्रतिदाय की तारीख से तीन वर्ष के भीतर, जारी करेगा।

**(11)** उपधारा (6) या उपधारा (8) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, उपधारा (9) के अधीन शास्ति वहां संदेय होगी जहां स्वनिर्धारित कर या कर के रूप में एकत्रित किसी रकम को ऐसे कर के संदाय की नियत तारीख से तीन दिन की अवधि के भीतर संदत्त नहीं किया गया है।

[2]**[(12)** इस धारा के उपबंध वित्तीय वर्ष 2023–24 तक की अवधि से संबंधित कर के अवधारण को लागू होंगे।**]**

**उपयुक्त नियमः नियम 142**

**उपयुक्त प्रारूपः प्रारूप जीएसटी डीआरसी–01, जीएसटी डीआरसी–01क, जीएसटी डीआरसी–01ख, जीएसटी डीआरसी–02, जीएसटी डीआरसी–03, जीएसटी डीआरसी–04, जीएसटी डीआरसी–05, जीएसटी डीआरसी–06, जीएसटी डीआरसी–07, जीएसटी डीआरसी–08**

---

**2** वित्त (संख्यांक 2) अधिनियम, 2024 (2024 का क्रमांक 15) द्वारा उपनियम (12) अंतःस्थापित। अधिसूचना क्रमांक 17/2024–केन्द्रीय कर, दिनांक 27.09.2024 द्वारा इसको दिनांक 01.11.2024 से प्रभावशील किया गया।